

तत्काल
D.C. बालिका/AAO



शिक्षा का अधिकार



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद।

पत्रांक: बालिका नवाचार /जूडो कराटे प्र0/381/2014-15 दिनांक 15 जनवरी, 2015

विषय: बालिका शिक्षा नवाचार के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के सापेक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

बालिका शिक्षा नवाचार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके जनपद में जूडो /कराटे प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। जूडो/कराटे प्रशिक्षण में कक्षा 6, 7, 8 की समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण सप्ताह में 3 दिन माह जनवरी, 2015 से मार्च 2015 तक 03 माह के लिए संचालित किया जायेगा। पत्र के साथ जूडो कराटे का पाठ्यक्रम संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित है:-

- ❖ प्रशिक्षक का चयन - जनपद प्रेस विज्ञापित के माध्यम से जूडो/कराटे के Institutes से दस प्रशिक्षक का चयन करेगा। चयन की कार्यवाही माह अगस्त तक पूरी कर ली जाये।
- ❖ चयन समिति -

- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य सचिव
- जिला समन्वयक बालिका शिक्षा - सदस्य
- जिला क्रीडा अधिकारी-सदस्य
- जिला ध्यायाम शिक्षक - सदस्य

- ❖ समय सारिणी -

- जूडो/कराटे हेतु प्रशिक्षक के चयन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 15 जनवरी 2015 तक पूर्ण कर ली जाये तथा विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण 20 जनवरी, 2015 से प्रारंभ कराया जाये।
- जिन-जिन विद्यालयों में जूडो/कराटे का प्रशिक्षण दिया जाये, वहाँ के प्रधानाध्यापक की बैठक करके उनका भी इस विषय में उन्मुखीकरण किया जाये।

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री - "बालिकाओं की ड्रेस"

- धनराशि का व्यय।

उपर्युक्त सामग्री ग्राम सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक दशा में क्रय कर ली जायें। केन्द्र संचालन पर व्यय भी विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षक हेतु मानदेय की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से व्यवहृत की जायेगी। प्रशिक्षक को प्रत्येक माह मानदेय देने से पूर्व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा उनके कार्य का भौतिक सत्यापन करें, तदोपरान्त ही प्रशिक्षक को मानदेय दिया जाये।

- बालिकाओं का चयन

- जूडो-कराटे/ताइकाण्डो प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम से कम 100 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- 100 बालिकाएँ विकासखण्ड स्तर पर तथा समीपस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-6 से 8 तक की बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
- बालिकाओं का चिन्हीकरण करके उनके अभिभावकों से सहमति पत्र लिखित रूप से प्राप्त कर ही प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।
- चयन के पूर्व बालिकाओं के आने-जाने की सुविधा को भी दृष्टिगत रखा जाए।
- बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सावधानी रखी जाए।

❖ मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन -

- राज्य प्रयोजना कार्यालय से प्रेषित पाठ्यक्रम के अनुसार कोर्स के समाप्त होने के पश्चात बालिकाओं का मूल्यांकन मार्शल आर्ट के बाह्य विशेषज्ञ से कराया जायेगा। समय-समय पर सम्बन्धित विकास खण्ड के ब्लॉक समन्वयक, डायट मेण्टर, जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, डायट भी अपने स्तर से कार्यक्रम का सुपरविजन करते रहें।
- चयनित प्रशिक्षकों का जनपद स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण करके उन्हें पाठ्यक्रम से तथा विद्यालय में किस समय प्रशिक्षण दें, इससे अवगत करा दिया जाये।
- कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा समस्त विकास खण्डों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को एक स्थान पर एकत्र कर जूडो/कराटे की जनपद स्तर पर प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाये एवं कार्यक्रम का डाक्यूमेंटेशन तथा फोटोग्राफी इत्यादि कराई जाये। जूडो/कराटे प्रशिक्षित समस्त बालिकाओं को जूडो /कराटे प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी दिया जाये।

बजट -

जूडो/कराटे हेतु प्रति सेन्टर ₹0 55,000/- की धनराशि अनुमुक्त की जा रही है जिसका फाँटवार विवरण निम्नांकित है-

❖	प्रशिक्षक का मानदेय - ₹ 5000 X 03 माह	15000.00
❖	ड्रेस जूडो कराटे - 100 बालिकाओं हेतु ₹ 200	80000.00
❖	किंग बैग 20 प्रति विद्यालय ₹ 250 X 20	5000.00
❖	आकस्मिक मद (फोटोग्राफी, प्रतियोगिताएं, फर्स्ट एड आदि)	5000.00
	कुल योग	55000.00


अनुदेशक का चयन

जूडो/ कराटे/ताइकाण्डों के प्रशिक्षक का चयन जनपद स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। मानदेय की धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सीधे प्रशिक्षक को उपलब्ध कराई जायगी। मानदेय भुगतान से पूर्व जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) प्रत्येक माह सम्बन्धित विद्यालय में जायेंगे और छस माह के कार्य का भौतिक सत्यापन करेंगे। तदोपरान्त ही मानदेय का भुगतान प्रशिक्षक को किया जायगा।

प्रशिक्षण में प्रयोगार्थ प्रशिक्षण सामग्री, बालिकाओं की ड्रेस, किंग बैग आदि की व्यवस्था धनराशि का विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व की जायगी तथा प्रशिक्षण हेतु मानदेय की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भुगतान की जायगी।

अतः उपर्युक्त धनराशि से निर्देशानुसार बजट तत्काल सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करायें। धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार ही करें।

संलग्नक:- चतवत् ।

भवदीया,

 (कुमुदलता श्रीवास्तव)
 राज्य परियोजना निदेशक

पृ0स0:- बा0शि0 नवाचार/जूडो कराटे 18/7/2014-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
3. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), समस्त जनपद।


 (रमेश शर्मा)
 अपर परियोजना निदेशक